भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2633
5 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

भिलाई इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटनाएं

2633. श्री विजय बघेलः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें हुई मृत्यु का ब्यौरा क्या है तथा मृतकों के आश्रितों के नाम और पते सहित उनको प्रदान की गई अनुकंपा आधारित नियुक्तियों/मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त दुर्घटनाओं की औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई जाँच का ब्यौरा क्या है;

(घ) औद्योगिक न्यायालय द्वारा दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा आज की तिथि तक लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक कितने लोगों को दंडित किया गया है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री एच. डी. कुमारास्वामी)

(क) और (ख) : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भिलाई इस्पात संयंत्र में पिछले पांच वर्षों में हुई दुर्घटनाओं तथा मृतकों के आश्रितों को दी गई अनुकंपा आधारित नियुक्तियों/दिए गए मुआवजे का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**दुर्घटनाओं की संख्या**	**मृतकों की संख्या**	**जारी की गई मुआवजा राशि (रुपये में)**	**अनुकम्पा आधारित नियुक्ति**
2020-21	2	2	12,22,525/-	2
2021-22	3	3	11,89,625/-	3
2022-23	3	3	8,50,000/-	3
2023-24	3	3	9,75,000/-	2
2024-25	3	3	26,50,000/-	1

(ग) से (ङ) भिलाई इस्पात संयंत्र में हुई सभी दुर्घटनाओं की जाँच औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निदेशालय, छत्तीसगढ़ द्वारा की जाती है और जाँच के बाद जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का संयंत्र द्वारा अनुपालन किया जाता है। उक्त अवधि के दौरान, 23 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है।

******